Addl Dir.

छत्तीसगढ़ शासन
जनसंपर्क विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला–रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 13 /08/2020

::अधिसूचना::

क्रमांक 521 /413/जनसम्पर्क/2020/चौबीस :: राज्य शासन एतद्द्वारा ***विज्ञापन संबंधी नियमावली–2019 की कण्डिका–31*** के अन्तर्गत न्यूज वेबसाइट/वेबपोर्टल संबंधी प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन करता है :–

डिजिटल माध्यम की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य के भीतर/राज्य के बाहर से संचालित न्यूज वेबसाइट/वेबपोर्टल के लिए प्रदर्शन विज्ञापन, आवश्यकता/उपयोगिता/अवसर और बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाएंगे। इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यूज वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। विज्ञापन देते समय निम्न मापदंडों को अपनाया जायेगा :–

(1) डीएव्हीपी में सूचीबद्ध/पंजीकृत/इम्पैनल्ड पोर्टल/वेबसाइट को डीएव्हीपी द्वारा निर्धारित दर/ गाइडलाइन/नियमों के अनुसार विज्ञापन दिया जायेगा।

(2) ऐसे वेबसाइट/पोर्टल जिनका डीएव्हीपी में पंजीयन नहीं है उनको जनसपंर्क विभाग द्वारा इम्पैनल किया जायेगा।

(3) कंडिका 02 में उल्लेखित पोर्टल/वेबसाइट के इम्पैनलमेंट हेतु संचालनालय स्तर पर आयुक्त/संचालक द्वारा अपर संचालक/संयुक्त संचालक (विज्ञापन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। इस समिति की अनुशंसा पर आयुक्त/संचालक द्वारा इम्पैनलमेंट की कार्यवाही की जायेगी। इम्पैनलमेंट की अवधि एक वर्ष की होगी, जिसके नियमित अंतराल पर पुनः समीक्षा का अधिकार समिति को होगा। समीक्षा में उचित न पाए जाने पर संबंधित पोर्टल/वेबसाइट का इम्पैनलमेंट समाप्त करने का अधिकार भी समिति को होगा। सामान्यतः निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाले पोर्टल/वेबसाइट के समिति द्वारा इम्पैनलमेंट हेतु अनुशंसा की जायेगी–

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के न्यूज वेबसाइटों को इम्पैनल्ड किया जाये। इम्पैनलमेंट 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

No. 1065 P.A./DPR
Date 19-8-2020

क्रमशः.....

Scanned with CamScanner

(ii) इम्पैनलमेंट हेतु विगत 06 माह के दौरान न्यूज वेबसाइट की औसत यूनिक यूजर संख्या 50 हजार होनी चाहिए। इस दौरान एवरेज सेशन ड्यूरेशन न्यूनतम 30 सेकेण्ड होना चाहिए।

(iii) प्रत्येक वेबसाइट/पोर्टल के अपने होम पेज पर वेबसाइट/पोर्टल के स्वामी, संचालक, संपादक का नाम मोबाइल नंबर, ई मेल, संपादकीय कार्यालय का पता प्रदर्शित होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन अपनी वेबसाइट्स/पोर्टल को अपडेट भी करना होगा।

(iv) न्यूज वेबसाइट कम से कम एक वर्ष से ऑन लाइन हो। इस अवधि के दौरान वेबसाइट का नाम और इंटरनेट का पता (URL) नहीं बदला गया हो।

(v) राज्य की गतिविधियों को प्राथमिकता से अपलोड करने वाले वेबसाइट / वेबपोर्टल को विज्ञापन देने में प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) पत्रकारिता के स्थापित मूल्यों के विरूद्ध समाचार प्रकाशित करने वाले अश्लील/झूठे/मनगढ़ंत किसी संस्था या व्यक्ति को झूठे आधार पर बदनाम करने वाले समाचारों को प्रकाशित करने वाले पोर्टल/ वेबसाइट को समिति की अनुशंसा पर इम्पैनलमेंट सूची से बाहर किया जा सकेगा। इसके साथ–साथ समिति उपलब्ध तकनीकी साधनों यथा–विश्वसनीय टैरिफ एनालिसिस टूल अथवा अन्य किसी माध्यम से मासिक दृश्य संख्या यूजर संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगी। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी मानव संसाधन की सहायता ली जायेगी। संचालनालय स्तर पर एक आवेदन पर एक बारगी अधिकतम पचास हजार रूपये तक के प्रदर्शन विज्ञापन दिए जा सकेंगें।

(5) इम्पैनलमेंट सूची के बाहर भी वेबसाइट/पोर्टल को विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां प्रशासकीय विभाग को होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(उमेश कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जनसम्पर्क विभाग

क्रमशः.....

Scanned with CamScanner